लखपति दीदी पहल

ग्राम समृद्धि उद्वहन योजना (वी०पी०आर०पी०) के निर्माण हेतु केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं का संकलन

झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

लखपति दीदी पहल

ग्राम समृद्धि उद्वहन योजना (वी०पी०आर०पी०) के निर्माण हेतु केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं का संकलन

CHANDRASHEKHAR, I.A.S.
Secretary
Rural Development Department,
Govt. of Jharkhand

चन्द्रशेखर, भा.प्र.से.
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार

संदेश

भारत जैसे विविध और जीवंत देश में लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने में सरकार की अहम भूमिका होती है। केंद्र और राज्य स्तर पर अपनी असंख्य कल्याणकारी कार्यक्रम और पहल के आधार पर सरकार की कोशिश रहती है कि वो समाज के वंचित सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे और सामाजिक समृद्धि की दिशा में काम करे।

हालांकि सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता को कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में से एक है, लाभुकों के बीच इन कार्यक्रमों से मिलने वाले फ़ायदों की जानकारी का अभाव और इनकी समझ, जटिल प्रक्रिया और लाभार्थियों के बीच योजना संबंधी जानकारियों की कमी योजना से जुड़ के लाभान्वित होने के अवसर को क्षीण करती है।

इस संबंध में सरकारी योजनाओं की जानकारी एक अहम भूमिका अदा करती है. जानकारी सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि सरकार और लाभुकों के बीच एक पुल के रूप में काम करती है। हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की महिलायें और किसानों को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी और अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अनुवृत्ति प्रबंधन के इस जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और लाभुकों तक इसकी पहुँच को संभव बनाने के लिए इस पुस्तिका को तैयार किया है। यह पुस्तिका केंद्रीय क्षेत्र , केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ, और उससे लाभन्वित होने की प्रक्रिया को सरल रूप में समझने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पुस्तिका में आजीविका से सम्बंधित गतिविधियों और सामाजिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

इस पुस्तिका का उद्देष्य ग्रामीण जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे ,स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन ,क्लस्टर लेवल फेडरेसन व पंचायत की संस्थाओं तक न सिर्फ इन योजनाओं की जानकरी प्रदान करना अपितु उनकी संभावित भूमिकाओं को भी रेखांकित किया जा सके।

मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तिका के मध्याम से योग्य लाभार्थियों को सटीक जानकारी मिले व ग्राम समृद्धि उद्ववहन योजना (वी.पी.आर.पी) में ऐसी योजनाओं का संकलन किया जा सके, जो न सिर्फ सशक्त हो अपितु उसमे पर्याप्त जनभागीदारी की झलक हो ,ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

धन्यवाद।

(Chandra Shekhar)

1st Floor, F.F.P. Building, Dhurwa, Ranchi - 834 004 (Jharkhand)/प्रथम तल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची - 834 004 (झारखण्ड)
Phone. : 0651-2400244 (O)/ Fax : 0651-2400245, E-mail : rddsecjhr2020@gmail.com

जोहार परियोजना

पलाश
(झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी)
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

संदेश

झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन से सम्बंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जे.एस.एल.पी.एस.), राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में ग्रामीण विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूरे राज्य में जे.एस.एल.पी.एस. ने लगभग 32 लाख ग्रामीण परिवेश में रहने वाले परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन, साक्षरता, बैंकिंग सुविधाओं तथा कृषि एवं ग़ैर कृषि क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित लखपति दीदी पहल जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आजीविका के सम्पूर्ण साधन उपलब्ध कराना है, जिससे महिलाऐं प्रतिवर्ष एक लाख रूपए या उससे अधिक की स्थायी आय अर्जित कर सके।

इस पुस्तिका के निर्माण का उद्देश्य ग्राम संगठन एवं क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्वकर्ता तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा चलायी जा रही केंद्रीय क्षेत्र , केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार समर्थित योजनाओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे योजनाओं के लाभ, और उससे लाभन्वित होने की प्रक्रिया को सरल रूप में समझाया जा सके।

मैं आशा करता हूँ की, ये पुस्तिका स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, पंचायत प्रतिनिधि, किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं तथा जे.एस.एल.पी.एस. के फील्ड स्टाफ़ के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करेगी, और उन्हें ग्राम समृद्धि उद्ववहन योजना (वी.पी.आर.पी) के निर्माण में जन-उपयोगी तथा आजीविका संवर्धन से सम्बंधित अधिक से अधिक योजनाओं को संकलित करने में सहायक सिद्ध होगी।

लखपति दीदी पहल के तहत एकीकृत ढंग से हमारा प्रयास ग्रामीण झारखंड के लिए एक ऐसे सशक्त भविष्य का निर्माण करना है, जहां झारखंड की हर महिला वित्तीय रूप से समृद्ध, गरिमापूर्ण और गुणवत्ता परक जीवन यापन कर सके।

धन्यवाद।

(संदीप सिंह)

राज्य कार्यालय : द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद भवन, ईटकी रोड, हेहल, रांची–834005, फोन नं०–0657–2951915, 2951916
पंजीकृत कार्यालय : तृतीय तल, एफएफपी भवन, एचईसी कैंपस, धुर्वा, रांची–834004, झारखण्ड

Pasta
Vatika
CHIK
Surf

विषय सूची

कवर पृष्ठ

संदेश

संदेश

सूचकांक

योजना विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा लागू योजनाएं

उद्योग विभाग द्वारा लागू योजनाएं

श्रम कल्याण और रोजगार विभाग द्वारा लागू योजनाएं

योजना एवं वित्त विभाग द्वारा लागू योजनाएं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा लागू योजनाएं

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा लागू योजनाएं

मनरेगा (MGNREGA)

नोडल मंत्रालय / विभाग : ग्रामीण विकास विभाग

उद्देश्य

प्रत्येक घर के वरीय सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में एक सौ दिन के रोजगार की गारंटी अकुशल श्रमिक कार्यों के लिए एक टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण संपत्ति आधार बनाना

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) योजनाएं

योजना का नाम: बिरसा हरित ग्राम योजना

योजना का प्रकार: एकल

उद्देश्य: बागवानी के माध्यम से स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना

योजना के अंग: श्रम, पौधे,उर्वरक और पाँच साल तक प्रदान की जाने वाली अन्य सहायता

योग्यता:

1. झारखंड के निवासी
2. एससी/एसटी/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को प्राथमिकता
3. सीमांत किसान
4. भूमि स्वामित्व
5. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
6. मनरेगा जॉब कार्ड धारक

आवेदन की विधि: आवेदन नजदीकी पंचायत या प्रखण्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन का फॉर्म, जमीन संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना का नाम: बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना

योजना का प्रकार: एकल

उद्देश्य: स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के उदेश्य से कृषि कार्यों के लिए सिंचाई के श्रोत का निर्माण

योजना के अंग: सिंचाई के लिए कुंआ का निर्माण

योग्यता

1. झारखंड के निवासी
2. एससी/एसटी/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को प्राथमिकता
3. सीमांत किसान
4. भूमि स्वामित्व
5. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
6. मनरेगा जॉब कार्ड धारक
7. बिरसा हरित गर योजना से जुड़े किसानों को प्राथमिकता

कहां आवेदन करें:

आवेदन नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में किया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज:

जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, जमीन संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना का नाम: न्यूट्री गार्डन (दीदी बाड़ी योजना)

योजना का प्रकार: एकल/समूह

उद्देश्य: प्रचुर पोषण के लिए आंगन में सब्जी की खेती

सहायता का प्रकार: फल और सब्जी की खेती के लिए सहयोग

योग्यता:

1. झारखंड के निवासी
2. एससी/एसटी/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को प्राथमिकता
3. सीमांत किसान
4. भूमि स्वामित्व
5. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
6. मनरेगा जॉब कार्ड धारक
7. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता

कहाँ आवेदन करें:

आवेदन नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में किया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज:

जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, जमीन संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना का नाम: नर्सरी (दीदी बगिया योजना)

योजना का प्रकार: एकल/समूह

उद्देश्य: ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को समर्थन करने का लक्ष्य

योजना के अंग:

मनरेगा से वेतन का भुगतान और पॉली हाउस के लिए प्रावधान. नर्सरी से होने वाले उत्पाद मनरेगा के तहत होने वाले वृक्षारोपण कार्य में प्रयोग किये जाएंगे. जिससे ये महिला उद्यमियों लाभान्वित होंगी.

योग्यता:

1. झारखंड के निवासी
2. एससी/एसटी/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को प्राथमिकता
3. सीमांत किसान
4. भूमि स्वामित्व
5. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
6. मनरेगा जॉब कार्ड धारक
7. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता

कहाँ आवेदन करें:

आवेदन नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज:

जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, जमीन संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

मनरेगा के अंतर्गत कृषि और संबंधित कार्य

योजना का नाम: नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना

योजना का प्रकार: एकल/समूह

उदेश्य: राज्यभर में भूजल स्तर को बढ़ाना

योजना के अंग:

टीसीबी, एफसीबी, लूज बोल्डर चेक, चेक डैम इत्यादि का निर्माण

योग्यता:

1. झारखंड के निवासी
2. एससी/एसटी/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को प्राथमिकता
3. सीमांत किसान
4. भूमि स्वामित्व
5. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
6. मनरेगा जॉब कार्ड धारक

कहाँ आवेदन करें:

आवेदन नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में किया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज:

जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, जमीन संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना का नाम: फार्म पॉण्ड

योजना का प्रकार: एकल/समूह

योजना के अंग:

निजी या सामूहिक जमीन पर तालाब निर्माण

योग्यता:

1. झारखंड के निवासी
2. एससी/एसटी/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को प्राथमिकता
3. सीमांत किसान
4. भूमि स्वामित्व
5. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
6. मनरेगा जॉब कार्ड धारक

कहाँ आवेदन करें:

आवेदन नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में किया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज:

जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, जमीन संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

मनरेगा के तहत गैर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Non-NRM)

योजना का नाम: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

योजना का प्रकार: एकल

उदेश्य: पशुपालन के माध्यम से स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना

योजना के अंग: अभिसरण आधारित योजना जहाँ विभिन्न शेड (पशु, मुर्गीपालन और बकरी शेड) का निर्माण मनरेगा के तहत करवाया जाता है. इस योजना में पशु पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते है.

योग्यता:

1. झारखंड के निवासी
2. एससी/एसटी/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) को प्राथमिकता
3. सीमांत किसान
4. भूमि स्वामित्व
5. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
6. पशुपालन विभाग द्वारा तैयार की गई लाभुकों की सूची
7. मनरेगा जॉब कार्ड धारक

कहाँ आवेदन करें:

आवेदन नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में किया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज:

जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, जमीन संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पशुपालन विभाग द्वारा तैयार की गई लाभार्थियों की सूची

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं

उप मिशन: सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

योजना/कार्यक्रम का नाम

1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

योजना का प्रकार: केन्द्रीय योजना

उद्देश्य: निष्क्रिय जल स्रोतों की बहाली और नवीकरण जल संचयन संरचनाओं का निर्माण भूजल विकास एवं पारंपरिक जल निकायों की क्षमता को बढ़ाना है.

सहायता का विवरण:

- कृषकों को डींप, मिनी स्पिंरकलर इत्यादि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना
- पात्रता के बिन्दु पर इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए
- इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान हो सकते हैं.
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सहकारी समिति उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- किसानो की जमीन के कागजात
- जमीन की जमा बंदी (खेत की नकल)
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर

आवेदन कहां करें ?

कृषक समूह तथा कृषक ग्राम पंचायत/कृषक मित्र/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क करें

2 महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना

योजना का प्रकार: राज्य योजना

योजना का उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उपकरण बैंक उपलब्ध कराना है, जिससे कि महिलाएं कृषि के क्षेत्र में स्वावलंबी हो सकें.

पात्रता के बिन्दु पर महिला स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10–12 सदस्यों का होना आवश्यक है.

सहायता का विवरण

स्वयं सहायता समूहों को छोटे कृषि उपकरण बैंक हेतु 200000.00 रु उनके बैंक खाता में उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि समूह द्वारा छोटे परन्तु उपयोगी कृषि यंत्र जैसे, पावर टिलर, रॉट्री टिलर, सीड ट्रिटमेंट ड्रम, फ्रटीलाइजर ब्रॉडकास्टर, फॉर रॉ पैड्डी ड्रम सिडर, टू रॉ राइस ट्रांसप्लांटर, पेडल ऑपरेटर पैड्डी ट्रशर, राइस हाउल्लर, मिनी दाल मिल, हैंड स्परेयर, पॉवर ऑपरेटर स्पेरेयर, मिनी ऑइल एक्सपेलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, 1.5–2.0HP पंप सेट और 200' HDPE (63mm) पाइप, इत्यादि उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि उक्त समुह उक्त यंत्रों का स्वयं उपयोग कर सकें एवं अन्य को भाड़े पर उपलब्ध करा सके, ताकि कृषि कार्य में स्वावलम्बी बन सकें.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण

आवेदन कहां करें ?

कृषक मित्र/प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला भूमि सरंक्षण पदाधिकारी/गठित जिला स्तरीय समिति/जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क करें.

3 जलनिधि योजना

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः सिंचाई सुविधा विस्तार

पात्रता के बिन्दु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषक/महिला कृषकों/इच्छुक कृषक समूहों का चयन प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा. समिति के सदस्यों के पास डीप बोरिंग हेतु कलस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि तथा परकोलेशन टैंक हेतु क्लस्टर में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है.

सहायता का विवरण

- सिंचाई सुविधा विस्तार हेतु डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक का निर्माण कराये जाने का प्रावधान है
- डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक का निर्माणकृषक समहों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण

आवेदन कहां करें

कृषक मित्र/प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला भूमि सरंक्षण पदाधिकारी/गठित जिला स्तरीय समिति/जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क करें.

4 बंजर भूमि विकास योजना

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः वर्षा जल का संग्रह करने का है.

पात्रता के बिन्दु

न्यनूतम पांच एकड़ जल क्षेत्र का सरकारी तालाबध निजी तालाब जिसके गहरीकरण की आवश्यकता हो, न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई की क्षमता हो एवं विगत 5 वर्षो में जीर्णोद्धार आदि का कार्य नहीं किया गया हो. योजना का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाना है.

सहायता का विवरण

सरकारी/ निजी तालाबों का मशीनों द्वारा गहरीकरण/जीर्णोद्धार. योजना के तहत मशीन के माध्यम से तालाब का गहरीकरण का कार्य किया जाता है, ताकि वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा जल का संग्रह सिंचाई कार्य हेतु हो सके. योजना का कार्यान्वयन सिंचित क्षेत्र के लाभुक कृषकों के पानी पंचायत के माध्यम से किया जाता है एवं कुल लागत का 10 प्रतिशत पानी पंचायत द्वारा वहन किया जाता है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ग्राम सभा से स्वीकृति प्राप्त करना.

आवेदन कहां करें

कृषक मित्र/प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला भूमि सरंक्षण पदाधिकारी/गठित जिला स्तरीय समिति/जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में संपर्क करें

5 राष्ट्रीय बागवानी मिशन

योजना का प्रकारः केन्द्रीय योजना

उद्देश्य

उच्च दामों वाली सब्जियों, फल और फूलों तथा मसालों आदि की खेती के लिए प्रोत्साहन

योजना घटक

प्लांट मटेरियल, प्लांटेशन, इरिगेशन, फर्टीगेशन, परिशुद्ध खेती, नेट हाउस, भंडारण और तार–बंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

पात्रता के बिन्दु

उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित संकुल के लाभुक कृषक के द्वारा किया जएगा.

लाभुक का चयन का अधिकार ग्राम सभा को प्रदत है.

लक्षित समूह–किसान ध्स्वयं सहायता समूह

सहायता का विवरण

इस मिशन के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में राज्य सरकार का योगदान 35 से 50 प्रतिशत और शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है. सामान्य क्षेत्रों में क्रेडिट लिंक्ड बैंक–एंडेड सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 40:, प्रति प्रोजेक्ट 30.00 लाख रुपये तक सीमित है और परियोजना लागत का 50: प्रति प्रोजेक्ट तक सीमित है. पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों में 37.50 लाख.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक के पास श्स्पष्ट भूमि स्वामित्वश या श आवेदक " पंजीकृत पट्टा धारकश होना चाहिए
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट–डीपीआर (एनएचबी मॉडल डीपीआर की सुझावात्मक तर्ज पर
- आवेदक का फोटो
- स्वप्रमाणित पैन कार्ड या वोटर कार्ड
- आवेदक का स्वप्रमाणित आधार कार्ड

आवेदन कहां करें

जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या जिला उद्यान केंद्र में संपर्क करें. वर्तमान में यह योजना धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, गढ़वा एवं साहेबगंज जिला को छोड़कर शेष 17 जिलों में लागू है.

पशुपालन विभाग

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

1 पशुधन नस्ल विकास पर उप-मिशन

योजना: पोल्ट्री प्रजनन फार्म की स्थापना

योजना का प्रकार: केन्द्रीय योजना

उद्देश्य

- असंगठित ग्रामीण मुर्गीपालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना
- ग्रामीण पोल्ट्री के क्षेत्र में सतत तरीके से उद्यमिता को बढ़ावा देना
- फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना

योजना घटक

अंडे और चूजों के उत्पादन के लिए पेरेंट फार्म, ग्रामीण हैचरी, ब्रूडर सह मदर यूनिट की स्थापना

पात्रता के बिन्दु

- स्वयं की भूमि अथवा पट्टे की भूमि होनी चाहिए
- योग्य संस्थाओं से या तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो या उनके पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं या संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है.
- बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त ऋण, अनुसूचित बैंक से सुसज्जित बैंक गारंटी के साथ–साथ उस बैंक द्वारा परियोजना की वैधता का मूल्यांकन जहां उसका खाता है.

लक्षित समूह

व्यक्तिगत/स्वयं सहायता समूह/एफपीओ/एफपीसी

सहायता का विवरण

- कुल परियोजना लागत का एकमुश्त 50: पूंजीगत अनुदान अधिकतम प्रत्येक यूनिट के लिए 25 लाख तक अनुदान प्रदान किया जाएगा.
- कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

व्यक्तिगत और समूह इकाई का आधार कार्ड

- पहचान पत्र
- जमीन के कागजात
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

- बैंक से ऋण अनुमोदन
- स्ववित्तपोषित होने पर शेष खर्चों के लिए बैंक से ऋण अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

आवेदन कहां करे

उद्यमियों/योग्य संस्थाओं को राज्य द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के जवाब में NLM पोर्टल के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को आवेदन जमा करना होगा.

क्रियान्वयन एजेंसी: जिला पशुपालन अधिकारी से संपर्क करें

योजना:छोटे जानवर, भेड़ और बकरी पालनद्ध में नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना

योजना का प्रकार: केन्द्रीय योजना

उद्देश्य

- भेड़–बकरी पर स्थायी व्यवसाय मॉडल का विकसित करना
- एकीकृत ग्रामीण भेड़–बकरी उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी को प्रोत्साहित करना.

योजना घटक

- उद्यमी/पात्र संस्थाएं न्यूनतम 500 मादा और 25 नर के साथ भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित कर सकती हैं.
- बकरी के दूध, मीट और बढ़िया ऊन की गुणवत्ता के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च आनुवंशिक विविधता के साथ भेड़ और बकरी इकाई की स्थापना की जाएगी.

पात्रता के बिन्दु

- पीओ/एफसीओ/एसएचजी/धारा 8 कंपनियां
- स्वयं की भूमि अथवा पट्टे की भूमि होनी चाहिए
- योग्य संस्थाओं ने या तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है या उनके पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं या संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है.
- बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त ऋण, अनुसूचित बैंक से सुसज्जित बैंक गारंटी के साथ–साथ उस बैंक द्वारा परियोजना की वैधता का मूल्यांकन जहां उसका खाता हो.

लक्षित समूहः पीओ/एफसीओ/एसएचजी

सहायता का विवरण

- केंद्र सरकार परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए 50% तक बैक एंडेड सब्सिडी प्रदान करेगी. दो किस्तों में 50 लाख की सब्सिडी दी जायेगी.
- उद्यमियों/योग्य संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व वित्तपोषण से करनी होगी.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- जमीन के कागजात
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

- बैंक से ऋण अनुमोदन
- स्ववित्तपोषित होने पर शेष खर्चों के लिए बैंक से ऋण अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

आवेदन कहां करेः

जिला पशुपालन पदाधिकारी का कार्यालय में.

योजना-सूअर पालन उद्यमी को प्रोत्साहन

योजना का प्रकारः केन्द्रीय योजना

उद्देश्यः उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना और सूअर पालन क्षेत्र में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का निर्माण करना.

योजना घटक

न्यूनतम 100 मादा सूअर एवं 25 नर सूअर वाले ब्रीडर फार्म की स्थापना के लिए उद्यमी को सहायता प्रदान की जायेगी.

पात्रता के बिन्दु

- एफपीओ/एसएचजी/सेक्शन 8 कंपनियां/व्यक्ति के पास अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए.
- योग्य संस्थाओं ने या तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो या उनके पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ हों.
- संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव.
- बैंक द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण प्राप्त हुआ हो.
- वित्तीय संस्थानों ने मूल्यांकन के साथ अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान हो.
- जिस बैंक में उसका खाता है, वहां उसकी वैधता के बारे में प्रोजेक्ट करें.

लक्षित समूहः एफपीओ/एसएचजी

सहायता का विवरण

कुल परियोजना की लागत का एकमुश्त 50ः पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, भूमि की खरीद, किराया और भूमि, कार्यशील पूंजी, व्यक्तिगत वाहन के लिए पट्टे की लागत के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- जमीन के कागजात

- बैंक अकाउंट पासबुक
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- बैंक से ऋण अनुमोदन
- स्ववित्तपोषित होने पर शेष खर्चों के लिए बैंक से ऋण अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

आवेदन कहां करें

जिला पशुपालन पदाधिकारी का कार्यालय में.

चारा एवं चारा विकास पर उपमिशन

योजनाः चारा एवं चारा विकास में उद्यमिता गतिविधियां

योजना का प्रकारः केन्द्रीय योजना

उद्देश्यः चारा एवं चारे के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास.

- फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के माध्यम से चारा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रसारित करना.
- स्थानीय स्तर पर सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना.
- इन उद्यमियों को आपूर्ति के लिए स्थानीय किसानों द्वारा चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अतः चारे को नकदी फसल के रूप में उपयोग करें.

योजना घटक

- ग्राम स्तर पर घास/साइलेज से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास.
- चारा ब्लॉक बनाने वाली इकाइयां बेलर, ब्लॉक जैसी मशीनरी की खरीद.
- आवश्यकता के अनुसार मशीनें, टीएमआर मशीनें/उपकरण, चारा हार्वेस्टर/रीपर, हेवी ड्यूटी पावर संचालित चौफ कटर और कोई अन्य पीएचटी उपकरण.

लक्षित समूहः निजी उद्यमी, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियां, धारा 8 की कंपनियां.

सहायता का विवरण

- 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी, कुल परियोजना लागत का 50%
- यह लाभार्थियों को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से दो समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- जमीन के कागजात
- बैंक अकाउंट पासबुक
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- बैंक से ऋण अनुमोदन
- स्ववित्तपोषित होने पर शेष खर्चों के लिए बैंक से ऋण अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

आवेदन कहां करें: जिला पशुपालन पदाधिकारी का कार्यालय में.

मत्स्य विभाग

योजना-मत्स्य प्रशिक्षण एवं मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः राज्य स्तर पर मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्रचार प्रसार.

योजना का घटकः किसानों को 2 दिवसीय एवं 5 दिवसीय प्रशिक्षण

लक्षित समूह

वैसे इच्छुक मत्स्य कृषक जिनके पास निजी/सरकारी तालाब हो, अथवा मछली पालन करते हों/व्यवसाय के रूप में मछली पालन अपनाना चाहते हों.

सहायता का विवरण

- दो दिवसीय प्रशिक्षण – विगत वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य कृषक
- पांच दिवसीय प्रशिक्षण– नए मत्स्य कृषक के लिये प्रत्येक प्रशिणार्थी को दैनिक प्रशिक्षण भत्ता मो0–200/– रू0 मात्र प्रतिदिन एवं मार्ग व्यय मो0 400/–रू0 मात्र अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो देय है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

आवेदन कहां करें: जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में.

योजना मत्स्य बीज वितरण

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः मत्स्य कृषकों को मछली पालन हेतु उचित मूल्य पर उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराना.

योजना घटकः किसानों को बीज वितरण

लक्षित समूहः कोई भी मत्स्य कृषक प्राप्त कर सकता है.

सहायता का विवरणः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों को 20 प्रतिशत अनुदान.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र

आवेदन कहां करें: जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में.

योजना रंगीन मछलियों का पालन, प्रजनन एवं विस्तारीकरण कार्य मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः नगरीय एवं उप नगरीय क्षेत्रों में एक्वेरियम एवं रंगीन मछली के प्रचलन को बढ़ावा देना एवं सक्रिय प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक एवं महिलाओं को नया मंच उपलब्ध कराना.

योजना का घटकः किसानों को प्रशिक्षण एवं सब्सिडी

लक्षित समूहः कोई भी इच्छुक व्यक्ति या शिक्षित महिलाएं

सहायता का विवरणः अनुदानित दर पर रंगीन मछली एवं आवश्यक सामग्री

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र

आवेदन कहां करें: जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में

योजना तालाबों/जल निकायों के मिट्टी और पानी की जांच

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः जल निकायों के पानी और मिट्टी का प्रयोगशाला परीक्षण

लक्षित समूहः मत्स्य कृषक

सहायता का विवरण

तालाबों के मिटटी एवं पानी की निःशुल्क जाँच

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र

आवेदन कहां करें:

जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में

योजना मत्स्य विपणन योजना

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः हाईजेनिक कंडीशन में मत्स्य बिक्री को बढ़ावा देना.

लक्षित समूहः मछली विक्रेता।

सहायता का विवरण

40,000/– रू प्रति स्टॉल या लाभुक का अंशदान अधिकतम 10 लाख.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र

आवेदन कहां करें:

जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में

योजना- निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन तालाब का निर्माण

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढावा देना

योजना घटकः मछली पालन के लिए तालाब निर्माण पर सब्सिडी

लक्षित समूहः नदियों/जलाशयों के आस–पास के ग्रामीण

पात्रता के बिन्दु

- जिनके पास योग्य जमीन हो.
- मत्स्य पालन में प्रशिक्षित हो.

सहायता का विवरण

तीन लाख रू0 प्रति एकड़ निर्माण लागत का सामन्य वर्ग को 80: और अनुसूचित जातिध्जनजाति को 90: अनुदान का प्रावधान

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र

आवेदन कहां करें:

जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में.

योजना- रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग

योजना का प्रकारः राज्य योजना

उद्देश्यः बड़े जलाशयों/नदियों के उपयुक्त पानी को विशेष प्रकार के जाल से घेर कर कैद में मछली पालन

लक्षित समूहः नदियों/जलाशयों के आस–पास के ग्रामीण

सहायता का विवरण

जल, मछली के बीज तथा प्रथम बार मछलियों हेतु आहार

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र

आवेदन कहां करें:

जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में

उद्योग विभाग

योजना-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

उद्देश्यः

- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करना और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ग्रामीण और बेरोजगार युवाओं के साथ–साथ भावी पारंपरिक कारीगरों के लिए स्थायी और निरंतर रोजगार के अवसर पैदा कर व्यावसायिक प्रवासन को रोकना।

मुख्य लाभ

- गैर–कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम.
- परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का 15% से 35% तक होती है. विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रु. तक तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रु तक.
- विशेष श्रेणियों जैसे एससी/एसटी/महिला/अल्पसंख्यक/पूर्व सैनिक/ट्रांसजेंडर/आकांक्षी जिले/एनईआर से संबंधित लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है.

लक्षित समूह

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है.

सहायता का विवरण

- उद्योग लगाने हेतु बैंको के द्वारा ऋण
- सामान्य श्रेणी के मामले में लाभार्थी का स्वयं का योगदान परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/महिला/पूर्व सैनिक/ट्रांसजेंडर/आकांक्षी) के मामले में परियोजना लागत का 5% है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- जाति प्रमाण पत्र
- विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां भी आवश्यक हो।
- ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र.
- परियोजना रिपोर्ट.
- शिक्षा/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

संस्थानों के मामले में निम्नलिखित की स्वप्रमाणित प्रतियां भी आवश्यक हैं।

- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- सचिव आदि को प्राधिकृत करने वाला प्राधिकार पत्र/उपविधि की प्रति
- विशेष श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र, जहां भी आवश्यक हो।

आवेदन प्रक्रिया

1 यदि ऋण के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो बैंक लाभार्थियों द्वारा इकाइयों की स्थापना के लिए कुल परियोजना लागत की 90 से 95 प्रतिशत की शेष राशि को मंजूरी दे देते हैं और जारी कर देते हैं।

2 योजना के तहत स्थापित परियोजनाओं/इकाइयों की स्थिरता के लिए, कार्यशालाओं, लाभार्थियों को ईडीपी प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

3 भारत सरकार ने आवेदनों के प्रवाह और सीधे वित्तपोषण शाखाओं को मार्जिन मनी के संवितरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है.

4 ई–पोर्टल पर व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पीएमईजीपी पोर्टल पर करना है। प्रत्येक चरण में सिस्टम या संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वचालित रूप से आवेदकों को एसएमएसध्ई–मेल अलर्ट भेजे जाते हैं।

5 संभावित लाभार्थियों के लाभ के लिए विभिन्न गतिविधियों की मॉडल परियोजना रिपोर्ट पीएमईजीपी ई–पोर्टल पर डाल दी गई हैं।

आवेदन कैसे करें:

https://www-kviconline-gov-in/pmegpeportal/pmegphome

पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है और किसी भी मैन्युअल आवेदन की अनुमति नहीं है। पोर्टल पर व्यक्तिगत और संस्थागत आवेदकों के लिए दो अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।

योजना: मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण

उद्देश्य:

विस्तार और उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों की सहायता करने के उद्देश्य से, यह योजना सफल/अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यह योजना मौजूदा इकाई को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीक/स्वचालन लाने की उद्यमियों की आवश्यकता को भी पूरा करती है।

मुख्य लाभ

अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 15% और पहाड़ी राज्यों के लिए 20% तक होगी। कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।

लक्षित समूह

मौजूदा अच्छा प्रदर्शन करने वाली पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयां

विस्तार में जानकारी:

- विनिर्माण और सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए आगे की वित्तीय सहायता योजना के उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत रु. 1.00 करोड़ और सेवा/व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत 25.00 लाख।
- पहाड़ी राज्यों के लिए अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 15: से 20: तथा कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी.

पात्रता के बिन्दु

पीएमईजीपी/मुद्रा योजना के तहत वित्तपोषित सभी मौजूदा इकाइयां जिनके मार्जिन मनी दावे को समायोजित किया गया है और लिया गया पहला ऋण निर्धारित समय में चुका दिया गया है, वे लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

- इकाइयाँ पिछले तीन वर्षों से लाभ कमा रही हों।
- लाभार्थी उसी वित्तपोषण बैंक में आवेदन कर सकता है, जिसने उनकी इकाई के लिए ऋण स्वीकृत किया है, या किसी अन्य वित्तपोषण बैंक में आवेदन कर सकता है, जो दूसरे ऋण के लिए ऋण सुविधा देने को तैयार है।
- लाभार्थी किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी को चुन सकता है और वह पहले ऋण के लिए चुनी गई एजेंसी से भिन्न हो सकती है।
- उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम)ध्उद्यम पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- दूसरे ऋण से अतिरिक्त रोजगार सृजन होना चाहिए।
- उन्नयन के लिए दूसरे ऋण के तहत आवेदन जमा करने के लिए लाभार्थियों को पीएमईजीपी ई–पोर्टल पर आवेदन पत्र भरकर आवेदन करना होगा।

आवेदन कैसे करें:

https://www-kviconline-gov-in/pmegpeportal/pmegphome

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है और किसी भी मैन्युअल आवेदन की अनुमति नहीं है. पोर्टल पर व्यक्तिगत और संस्थागत आवेदकों के लिए दो अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।

पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (SFURTI)

उद्देश्यः

उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन और मूल्यवर्धन बढ़ाकर पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को सामूहिक रूप से संगठित करना और पारंपरिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना है.

सहायता का विवरण

- 2.5 करोड़. रुपये तक की सहायता 500 कारीगरों तक के लिए.
- 500 से अधिक कारीगरों के लिए 5 करोड़.
- कच्चे माल की खरीद के लिए सहायता.
- कौशल विकास.
- एक्सपोजर विजिट.
- क्रेता–विक्रेता बैठक.
- मार्केटिंग कनेक्ट, ई–कॉमर्स.
- डिजाइन समर्थन.

लक्षित समूह

हस्तशिल्प, कपड़ा, कृषि–प्रसंस्करण, बांस, शहद, कॉयर, खादी आदि क्षेत्रों में पारंपरिक उद्योगों के मौजूदा कारीगर.

विस्तार में जानकारीः

आवेदन कैसे करें ?

HTTPS://SFURTI-MSME-GOV-IN/SFURTI/HOME-ASPX ds ek/;e ls vkosnu dh tk ldrh gS-

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसए)

उद्देश्यः

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत दायित्वों को पूरा करने, लागू व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने और स्टैंड–अप इंडिया पहल का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करना.

मुख्य लाभ

- संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद पर 25% सब्सिडी या रु. 25 लाख जो भी कम हो.
- प्रदर्शनियों और विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से विपणन और सलाह समर्थन.
- बैंक ऋण प्रसंस्करण, परीक्षण सेवाओं, निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता, सरकार में सदस्यता के लिए ली गई फीस की प्रतिपूर्ति. प्रचारित ईकॉमर्स पोर्टल, एनएसआई की एकल बिंदु पंजीकरण योजना.
- सीपीएसई के लिए एससी/एसटी उद्यमों और उद्यमियों के संबंध में जानकारी का संग्रह, संकलन और प्रसार.
- कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और व्यापार विशिष्ट टूल किट का वितरण.

लक्षित समूह

इच्छुक और मौजूदा एससी/एसटी उद्यमी.

विस्तार में जानकारीः

लागू व्यावसायिक प्रथाओं और स्टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठाएं. हब ने अपनी विभिन्न उपयोजनाओंध हस्तक्षेपों के माध्यम से एससीध्एसटी उद्यमियों को उनकी क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क, वित्त सुविधा, निविदा बोली भागीदारी आदि में पेशेवर सहायता प्रदान करने की सुविधा की गयी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब विभिन्न उप–योजनाओं के माध्यम से उल्लिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम करता है, जो इस प्रकार हैंः–

- संयंत्र और मशीनरीध्उपकरणों की खरीद पर 25% सब्सिडी विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना।

- शेष विपणन सहायता योजना के तहत हवाई किराए पर 100% सब्सिडी और विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर से दोगुना डीए।
- रुपये के मामूली शुल्क के साथ एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत एनएसआईसी के पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 100: सब्सिडी।
- 80% प्रतिपूर्ति बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क पर या 1.0 लाख जो भी कम हो।
- 80% की प्रतिपूर्ति प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए या 1.0 लाख जो भी कम हो।
- 80% रु. की प्रतिपूर्ति. परीक्षण शुल्क पर या 1.0 लाख जो भी कम हो।
- 80% रु. की प्रतिपूर्ति. निर्यात संवर्धन परिषद सदस्यता की सदस्यताध्सदस्यता शुल्क पर या 20,000 जो भी कम हो।
- 80% या रु. की प्रतिपूर्ति. सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टल की सदस्यता शुल्क पर या 25,000 जो भी कम हो।
- 90% पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति या रु. शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थान के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क के लिए या 1.0 लाख जो भी कम हो।

Visit: https://www-scsthub-in/

रेशम उत्पादकों को उन्नत कीटपालन तकनीक का प्रशिक्षण

मलवरी पौधारोपण एवं मलवरी पालन

मुख्यालयः नेतरहाट, लोहरदगा, गुमला, बेड़ो, रातू, खूंटी, हजारीबाग, ईटखोरी, राजमहल, महेशपुर

वृक्षारोपण एवं कृमि पर अनुदान

रेशम केन्द्रों के कमाण्ड क्षेत्र के मलवरी कृषक को लाभ दिया जाएगा।

आवेदन कहां करें:

जिला उद्योग विभाग में आवेदन की जा सकती है।

उद्योग विभाग

पीएम ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना को औपचारिक रूप दिया गया

उद्देश्यः

इस योजना के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (एमएफपीई) को सरकार के दृष्टिकोण, प्रयासों और पहल से प्रोत्साहित करना है, ताकि उन्हें औपचारिक, उन्नत और मजबूत किया जा सके और उन्हें आत्मानिर्भर भारत का हिस्सा बनाया जा सके. साथ ही इस योजना का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ाना और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जैसे सहायक समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाना है। साथ ही कृषि–खाद्य में लगे हुए प्रसंस्करण क्षेत्र, पूंजी निवेश के लिए मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयों को समर्थन, ओडीओपी उत्पाद बनाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कूल मिलाकर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है।

इस योजना के लक्षित समूह

- एफपीओ
- एसएचजी
- व्यक्तिगत उद्यमी

इस योजना में चार घटक शामिल हैं

i) व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों के समूहों को सहायता प्रदान करना

ii) ब्रांडिंग और मार्केटिंग को समर्थन देना

iii) संस्थानों को मजबूत करने के लिए उनका समर्थन करना

iv) मजबूत परियोजना प्रबंधन ढांचा स्थापित करना

योजना का मुख्य लाभ

- इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में उपकरण लागत का 50 प्रतिशत और दुर्गम क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सहायता मुहैया करायी जाती है.
- इसके साथ ही कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रति एसएचजी सदस्य को 40,000/– रु प्रदान किया जाएगा।
- पात्र परियोजना के 35% की दर से क्रेडिट–लिंक्ड पूंजी सब्सिडी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता दी जाएगी।
- प्रति यूनिट 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है।
- एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारी समितियों को पूंजी निवेश के लिए 35% का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिया जाएगा।
- सूक्ष्म इकाइयों को विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता दी जाएगी।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में सहायता दी जाएगी ।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल पहल का एक हिस्सा है। जिसके तहत बीज पूंजी, कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के प्रति सदस्य को 40,000/– रुपये की बीज पूंजी प्रदान की जाएगी।

बीज पूंजी देने में ओडीओपी उत्पादन में शामिल एसएचजी को प्राथमिकता दी जाएगी

एसएनए/एसआरएलएम द्वारा एसएचजी फेडरेशन को अनुदान के रूप में बीज पूंजी दी जाएगी, जिसे एसएचजी फेडरेशन एसएचजी के सदस्यों को ऋण के रूप में प्रदान करेगा।

पात्रता मापदंडः

- केवल एसएचजी सदस्य जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण में लगे हुए हैं, पात्र होंगे ।

- एसएचजी सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए इस राशि का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और एसएचजी और एसएचजी फेडरेशन को इस संबंध में प्रतिबद्धता देनी होगी ।
- प्रारंभिक पूंजी प्रदान करने से पहले, एसएचजी फेडरेशन को प्रत्येक सदस्य के लिए निम्नलिखित बुनियादी विवरण एकत्र करना चाहिए ।

क) संसाधित किए जा रहे उत्पाद का विवरण ।

ख) वार्षिक कारोबार और गतिविधियों का विवरण।

ग) कच्चे माल का स्रोत और उपज का विपणन।

प्रसंस्करण के लिए कौन से खाद्य उत्पाद लिए जा सकते हैं

कृषि उत्पाद	प्रमुख प्रोसेसिगं विकल्प	प्रोसेसिग के लिए उपयुक्त Dist.
नींबू	नींबू का रस, अचार ,सिरप	कोडरमा, रामगढ
आलू	चिप्स, फर्मेंटेड उत्पाद, आटा, श्रेड्स, फ्लेक्स, डीहाइड्रेटेड उत्पाद।	गमला, लातेहार, लोहरदगा, पलाम, राँची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, जामताड़ा, धनबाद, देवघर, दमका
महुआ	जैम, फर्मेंटेड उत्पाद, विनेगर, जूस, मिठाई, सिरप।	पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, खट्वा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, पलामू।
इमली	पाउडर, चटनी, सॉस, टॉफी	पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, पलामू।
चिरोंजी	रेडी–टू–ईट करनल, तेल, मिठाई।	सरायकेला–खरसावाँ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा।
पपीता	पल्प, पेय उत्पाद, जैम, जेली, जूस, अचार, टूटी–फ्रूटी, टॉफी।	रामगढ़, राँची, सिमडेगा, हजारीबाग, चतरा
अमरूद	पल्प, सिरप, पेय उत्पाद, जैम, जेली, टॉफी, कैडी, पाउडर	राँची, लोहरदगा, हजारीबाग, धनबाद
दूध के उत्पाद	क्रीम, योगर्ट, मक्खन, चीज आइसक्रीम, पाउडर, पेड़ा, खोवा	देवघर, दमका
कटहल	अचार, वाइन, जैम, कैंडी	पश्चिमी सिं हभम, सरायकेला–खरसा, खूंटी,सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम देवघर, बोकारो, धनबाद
आम	पेय उत्पाद, जैम, जेली, अचार, आमचर	गढ़वा, सिमडेगा, लोहरदगा, धनबाद, देवघर, पाकुड़, दमका, साहेबगज, गोड्डा
शरीफा	पल्प, सिरप, कॉन्सेंट्रेट, जैम, आइसक्रीम।	पश्चिमी सिंहभम, सरायकेला–खरसावाँ एवं खूंटी
शहद	स्प्रैड्स, टॉफी, कैडी	लोहरदगा, लातेहार
मिर्च	मसाला, सॉस, अचार, चटनी	साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गमला
टमाटर	जस, चटनी, सॉस, कैचप, पाउडर, canned tomatoes	पश्चिमी सिंहभम, राँची, समडेगा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, पलाम, दूमका, गिरिडीह, जामताड़
प्याज	डीहाइड्रेटेड उत्पपाद, फ्ललेक्स, पाउडर, तेल	पलाम, चतरा, पाकड़, हजारीबाग

कृषि उत्पाद	प्रमुख प्रोसेसिगं विकल्प	प्रोसेसिग के लिए उपयुक्त Dist.
गन्ना	गडु के क्यूब, लिक्वविड गडु, गडु पाउडर, कॉन्सेट्र	हजारीबाग
मौसमी सब्जी	डीहाइड्रेटेड उत्पाद, फ्रोजन उत्पाद, अचार, कैड उत्पपाद	गढ़वा, चतरा, खूंटी ,राँची, लोहरदगा रामगढ़, गमला, हजारीबाग, कोडरमा, बोकार

आवेदन कैसे करें

एसआरएलएम के तहत पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) के लिए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन एसएचजी के लिए पहचान अभ्यास में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। एसएचजी के इच्छुक सदस्यों को एक निर्धारित प्रारूप (अटैचमेंट बी–फॉर्म 1, 2 और 3) में पीएम–एफएमई कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए आवेदन करना होगा।

- आवेदन पत्र जमा करने में एसएचजी सदस्यों की सहायता के लिए एसआरएलएम जरूरत के आधार पर सीआरपी (पीएमएफएमई योजना के तहत प्रशिक्षित) को नियुक्त करेगा।
- सीएलएफ की आजीविका उप–समिति आवेदन की जांच करेगी और अनुमोदन के लिए इसे अपनी राय (टिप्पणियों और सिफारिशों) के साथ सीएलएफ कार्यकारी समिति (ईसी) को प्रस्तुत करेगी।
- पीएमएफएमई योजना के तहत कवरेज के लिए सीएलएफ–ईसी द्वारा अनुमोदित आवेदन ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई (बीएमएमयू) को भेजे जाएंगे जहाँ इसे एनआरएलएम डेटाबेस में बनाए गए अलग पीएमएफएमई मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा।
- एसआरएलएम विभिन्न स्तरों पर आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए समय सीमा निर्धारित करेंगे जिससे इसे निगरानी मापदंडों में शामिल किया जा सकता है।
- एसआरएलएम इस योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में पहचाने गए एसएचजी सदस्यों की अंतिम सूची राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के साथ साझा करेंगे। एसएनए को दी की गई सूची पर एसआरएलएम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
- एसएनए को आवेदन का प्रसारण ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। सहायता के लिए अनुशंसित आवेदन एनआरएलएम डेटाबेस के माध्यम से पीएमएफएमई–एमआईएस को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें बाद में एसएनए द्वारा प्राप्त किया जाएगा और संबंधित राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति में अनुमोदित किया जाएगा।
- एक बार सूची स्वीकृत हो जाने पर फंड एसएनए से एसआरएलएम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा धनराशि सीएलएफ/वीओ के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में एसआरएलएम से स्थानांतरित की जाएगी।

पीएमएफएमई: व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए

सूक्ष्म उद्यम को सहायता

- अधिकतम 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, और अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छुकों की सीमा रू 10 लाख तक है।
- संगठन जैसे व्यक्तिगत उद्यमी/स्वामित्व फर्म /साझेदारी फर्म/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)/सहकारी समितियां/प्राइवेट खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की एकल इकाई के रूप में लिमिटेड कंपनियां/स्वयं सहायता समूह/एसएचजी सदस्य, जिन्होंने सूक्ष्म या छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं या स्थापित करने के इच्छुक है, वे योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

योग्य परियोजना लागत में संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य की लागत शामिल है, लेकिन इसमें भूमिकिराये या लीज वर्क शेड की लागत शामिल नहीं है। हालाँकि, तकनीकी सिविल कार्य, परियोजना लागत का 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, एंव लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10: होना चाहिए और शेष आवश्यक निधि (सहायता अनुदान सहित) बैंक से ऋण होना चाहिए ।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों की पात्रता मानदंड या पैमाना:

- योजना के तहत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विस्तार/उन्नयन या नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए मौजूदा या नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों दोनों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- जबकि जिले के ओडीओपी में पहचाने गए उत्पाद में शामिल उद्यम को प्राथमिकता दी जाएगी, मौजूदा या नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों दोनों के लिए, अन्य सूक्ष्म उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा। इसलिए, ओडीओपी और गैर–ओडीओपी प्रसंस्करण उद्यम दोनों बिना किसी प्रतिबंध के पात्र हैं।
- व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक की कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
- आवेदक के पास उद्यम का मालिकाना हक होना चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में स्वयं, पति/पत्नी और बच्चे शामिल होंगे ।

सूक्ष्म उद्यम योजना / PMFME गतिविधियों की सूची योजना के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं है:

- असंसाधित बाजरा/अनाज/मसाले आदि का व्यापार और बिक्री।
- असंसाधित या उन्नत दूध (दूधध्दही की बिक्री)
- फलों और सब्जियों का व्यापार और बिक्री
- असंसाधित लघु वन उत्पाद का व्यापार और बिक्री
- मधुमक्खी पालन/शहद की खुली बिक्री
- तेल की खुली बिक्री, व्यापार और रीपैकेजिंग
- मूंगफली, अरेकॉन्ट का व्यापार और बिक्री (अपवाद: निर्यात किस्म के किसी भी प्रस्ताव की समीक्षा मामले–दर–मामले के आधार पर की जाएगी। राज्य सरकार को ऐसे मामलों के लिए एमओएफपीआई से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।)
- मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन या जानवरों की कोई अन्य पालन–पोषण गतिविधि
- ताजी मछली/मांस/चिकन आदि का व्यापार और बिक्री,
- विनिर्माताओं के उत्पादों की रीपैकेजिंग
- कैंटीन, किराना, होटल, टिफिन सेवाएँ, रेस्तरां या कोई अन्य खाद्य सेवा उद्यम

पीएमएफएमई के तहत सामान्य बुनियादी ढांचे को समर्थन

आवेदक संगठन को पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट–लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये है, जिसमें संयंत्र ,मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत शामिल है। लेकिन भूमि / किराये या लीज वर्क शेड की लागत शामिल नहीं है। हालाँकि, तकनीकी सिविल कार्य पात्र परियोजना लागत का 30% से अधिक नहीं होना चाहिए।

केंद्रित समूह

- इसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ किसान उत्पादक जैसे संगठन काम करते है।
- कंपनियां (एफपीसी) / सहकारी समितियां / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और इसकी फेडरेशन सरकारी एजेंसियां, जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण लाइन स्थापित की है या स्थापित करने का उद्देश्य रखती है।
- सामान्य बुनियादी ढांचे/मूल्य श्रृंखला/ऊष्मायन केंद्रों के साथ–साथ योजना के इस अंश के अनुसार वित्तीय सहायता समर्थन के लिए पात्र होंगे
- आवेदक संगठन का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष आवश्यक धनराशि (सहायता अनुदान सहित) बैंक से ऋण होना चाहिए।

सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए समूहों की पात्रता मानदंडः

कुल पात्र परियोजना लागत रुपये 10 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक संस्था के न्यूनतम टर्नओवर एवं अनुभव की कोई पूर्व शर्त नहीं होगी।

ओडीओपी या गैर–ओडीओपी दोनों के प्रस्ताव को सहायता दी जाएगी। पोर्टल पर आवेदन करने से पहले, आवेदक संगठन को परियोजना के वित्त के साधनों में परिकल्पित ऋण के लिए ऋण देने वाले बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पीएमएफएमई के इस योजना के तहत सहायता प्राप्त सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ–साथ प्रसंस्करण लाइन की पर्याप्त क्षमता अन्य इकाइयों और जनता द्वारा किराये के आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए आवेदक संगठनों को प्रति मामले 50,000/– रुपये दिये जाएंगे। योजना के इस घटक के लिए जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) को शामिल करना अनिवार्य नहीं है।

योजना घटकः

- फार्म–गेट पर कृषि उपज की परख, छंटाई, ग्रेडिंग, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के लिए परिसर का होना।
- कृषि और संबद्ध उपज के प्रसंस्करण के लिए सामान्य प्रसंस्करण की सुविधा ।

इन्क्यूबेशन सेंटर में एक या एक से अधिक उत्पाद लाइनें शामिल होनी चाहिए, जिनका उपयोग छोटी इकाइयों द्वारा अपनी उपज के प्रसंस्करण के लिए किराये के आधार पर किया जा सकता है। इन्क्यूबेशन सेंटर का उपयोग आंशिक रूप से प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाना चाहिए.

आवश्यक जानकारी/दस्तावेज

- उद्यम का नाम
- कृषि–खाद्य उत्पाद
- आवेदक/आवेदकों के केवाईसी दस्तावेज
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो तो

पीएमएफएमई योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
एसएनए के डीआरपी से संपर्क करें

पूरे झारखंड में डीआरपी की सूची इस प्रकार है:

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
बोकारो	किशोर रजक	9065520333
	राजेश कुमार महतो	9065520331
	नरेद्र शोखर	9065520334
	संजय कुमार दास	9065520332
	सुभाष चंद्र सिंह	9065520335
	मो. अबुतल्हा कमार	9065520414
	सुमीत कुमार	9065520416
	मोहन प्रसाद	9065520419
चतरा	हेमंत केसरी	9065520291
	पिंटू कुमार यादव	9471539573
	योगेश्वर मछुआ	9065520293

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
	सरदार शिशुपाल सिंह	9065520299
	अरविंद कुमार	9262399507
	सुमन कुमार	9262399506
	राहुल कुमार	8709651945
	वेद प्रकाश कुमार	9065520296
	सत्येंद्र कुमार यादव	9065520294
	उमेश कुमार	9065520297
देवघर	निरज कुमार	9065520412
	उत्तम कुमार	8789476637
	राजीव रंजन	9065520405
	विक्रमादित्य कुमार	9065520411
	आलोक चंद्रा	9065520410
	अवनिकांत कुमार	9065520415
	विश्वेंद्रा	9065520413
	रसीलाल सोरेन	9056520409
	राकेश कुमार	9262399544
धनबाद	कुमारी निलू	9065520307
	तारक नाथ पॉल	9065520303
	सुरेंद्र कुमार महतो	9065520305
	सिद्धार्थ शंकर	7903543440
	पप्पू कुमार दास	9065520304
	भूदेब कुमार चोपदर	9262399538
	रेखा रानी सिंह	9065520300
	सय्यारा सुल्ताना	9262399539
	रमेश महतो	9262399541
	बबलू पांडेय	9262399517
दुमका	विनय रंजन	9065520385
	निशांत निश्चय	9065520386
	मौसमी कुमारी	9065520387

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
	विंसेन्ट चोरे	9065520389
	इलिशा हेम्ब्रोम	9065520390
	सुनीला मुर्मू	9065520391
	तारा चरण मंडल	9065520393
	कुमार सुरज	9065520395
	जय प्रकाश प्रसाद	9262399522
ईस्ट सिंहभूम	मंजू मिंज	7909003788
	उदय दास	9262399515
	पुष्पम झा	9262399514
	रूपचंद हेम्ब्राम	9262399521
	मोहन सिंह होनहागा	9262399518
	राधे श्याम गोप	9262399519
	अमित कुमार	9262399524
	चंदा मुखी	9262399520
	किसन मुरी	9262399523
	दयाल बनर्जी	9065520326
गढ़वा	अशीष कुमार सिंह	9065520322
	महेंद्रा विश्वकर्मा	9262399511
	रवि कुमार	9065520320
	विवेकानंद पांडेय	9065520319
	पंकड कुमार गुप्ता	9065520318
	जीतेंद्र कुमार	9065520317
	आशीष कुमार	9507560536
	मदन कुमार	9065520339
	महेंद्रा प्रसाद	9065520321
	विनोद कुमार दास	9065520338
	अशर्फी कुमार	9065520337
	सुमीत कुमार	9065520336
	हिरानंद कुमार	9065520451

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
	अरविंद कुमार	9065520325
	राजकिशोर सिंह	9065520324
	उमेश उरांव	9065520323
	प्रवीन कुमार मिश्रा	9262399513
	चंद्रेश कुमार मिश्रा	9262399512
गिरिडीह	अविनाश कुमार	9065520461
	दीपक पांडये	9262399542
	रजनी रंजन राजीव	9065520460
	रंधीर कुमार	9065520459
	अनील कुमार यादव	9065520457
	सुभाष कुमार रंजन	9065520453
	संतोष कुमार वर्मा	9065520452
	रीना कुमारी	8521915539
	उमा वर्मा	9065520454
	मुकेश कुमार वर्मा	9065520458
	राजेंद्र प्रसाद वर्मा	9065520455
	चंद किशोर हंसदा	9065520456
	मिथिलेश कुमार वर्मा	9065520241
	मिस्तौल हक	9262399540
गोड्डा	ब्यूटी बसंती हेम्ब्रोम	9065520398
	अभय कुमार	9065520400
	गौतम कुमार	9065520402
	पुरुषोत्तम कुमार	9065520401
	प्रदीप कुमार हेम्ब्रोम	9065520399
	टेकलाल कुमार दास	9065520396
	अजय मंडल	9065520403
	आदित्य कुमार	9065520404
	पंकज कुमार महतो	9065520397

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
गुमला	सुरज कुमार	9334235018
	शशीभूषण साहू	9065520380
	रोहित सारंगी	9065520375
	हरे कृष्ण साहू	9065520384
	सुरज महतो	9065520374
	अजय मोहन प्रसाद	9065520377
	अमृता कच्छप	9065520382
	प्रवीण लकड़ा	9065520381
	बिमला कुमारी	9065520376
	गंदूर उरांव	9065520379
	प्रमोद उरांव	9065520378
हजारीबाग	श्रीश पति त्रीपाठी	9065520275
	संजीत कुमार	9065520272
	असीम रंजन	9065520270
	जय कुमार	9065520277
	भूषण तीग्गा	9065520273
	घनी रजा अंसारी	9065520278
	सुरेश चंद्रा महतो	9065520268
	अश्फाक अहमद	9065520271
	छोटीलाल प्रसाद	9065520280
	अनीश रंजन	9065520279
	अनीश कुमार गुप्ता	9065520276
	सुभाष कुमार	9065520274
	आकाश रजक	9262399529
जामताड़ा	प्रदीप चंद्रा पंडीत	9065520407
	मिथिलेश कुमार रे	9065520406
	विजय कुमार शर्मा	9065520417
	राम प्रसाद चोपदर	9065520418
	शैलेंद्र हेम्ब्रोम	9262399532

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
खुंटी	अतेन बिस्वायसी टोपनो	9065520231
	किरण लता भेंगड़ा	9065520232
	आशीष वर्मा	9065520233
	संतोष कुमार सोनी	9065520234
	पंकज कुमार शर्मा	9065520235
	जॉन हास्सा	9065520236
	इमानउल मुंडा	9262399505
कोडरमा	अघानु उरांव	9065520373
	अशुतोष कुमार सिंहा	9262399527
	अवीनाश मिश्रा	9262399526
	अभीषेक कुमार	9262399525
	मनोरंजन कुमार शर्मा	9262399509
	अजय कुमार	9262399508
	लेखराज दास	9262399528
लातेहार	अभीषेक कुमार गुप्ता	9065520422
	अकिंत कुमार	9065520423
	अनु कुमारी	9065520424
	अश्मिता खलखो	9065520425
	अतुल कुमार गुप्ता	9065520426
	पार्वती कुमारी	9065520427
	सुमन बारा	9065520428
	विजय कुमार पासवान	9065520421
	रोहित कुमार गुप्ता	9065520369
लोहरदगा	अंजन बारा	9065520256
	अशीफ अहमद	9065520262
	सुरज उरांव	9065520267
	सुनीति खाखा	9065520264
	अक्राजबीन खानम	9065520265
	शेखर कुमार	9065520261

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
	रवि शंकर राम	9065520266
	झरना कुमारी	9065520263
पाकुड़	जगन्नाथ बस्की	7875746261
	प्रवीण कुमार होरो	9262399536
पलामु	चंद्रकांत पांडये	9065520350
	कमलेश सिंह	9065520341
	कृष्ण कुमार	9122333009
	आनंद कुमार पांडेय	9065520362
	सोनल कुमार शर्मा	9065520360
	अजीत कुमार	9065520361
	मुकेश राम	9065520356
	सुर्य नारायण हरिवंश प्रसाद	9065520353
	विकास कुमार सिंहा	9065520355
	विजय कुमार सोनी	9065520343
	राजेंद्र सिंह	9065520345
	अमित कुमार1 (पीपरा)	9065520351
	संजीव प्रजापति	9065520359
	राजा शाह	8709835997
	अरविंद कुमार	9065520357
	पंकज कुमार सिंह	9065520342
	अनुज कुमार रंजन	9065520358
	अमित कुमार 2	9065520347
रामगढ़	अभिषेक कुमार	9065520285
	भूषण कुमार दांगी	9065520287
	सुरेश कुमार महतो	9065520284
	रवि कुमार	9065520283
	विजय कुमार मुंडा	9065520286
	गंगा मुंडा	9262399546

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
रांची	राकेश रंजन	7004147625
	मो. साजीद परवेज	9065520253
	बिंदू कुमारी	9065520246
	प्रभात कुमार	9065520251
	शबनम निशी कुजूर	9065520244
	सोनू सुशांत एक्का	9065520245
	शेखर प्रसाद	9065520240
	समीत कुमार लाहा	9065520255
	कुमार पल्लव	9065520248
	मीरा कुमारी	9065520243
	सुमन कुमारी	9262399545
साहिबगंज	देओब्रत कुमार	9065520260
	गौरी शंकर	9065520444
	मो. मोहिबुर रहमान	9065520443
	सुशील हंसदा	9065520439
	राजीव कुमार वर्मा	9065520440
	उदय कुमार राम	9065520445
	कुमारी रश्मी	9065520442
	कान्हे कुमार गोंद	9262399534
सरायकेला	इडलीन भुटकुवर	9065520429
	अभिजीत परमानीक	9065520433
	अराधना कुमार पाती	9065520438
	बिदेस चंद्र सोरेन	9065520436
	चंदन कुमार दुबे	9065520435

जिला	डीआरपी का नाम	संपर्क नंबर
	मनोज कुमार उरांव	9065520434
	प्रकाश महतो	9065520432
	उदय माहली	9065520431
	सुनील कुमार कुश्वाहा	9065520437
सिमडेगा	आशीष कोंगारी	9065520258
	किम्मी कुमारी	9065520371
	उषा केरकेट्टा	9065520364
	राजेन पॉल बारा	9065520370
	लक्ष्मण साहू	9065520366
	ऋतु रानी	9065520367
वेस्ट सिंहभूम	राजरानी मेलगंडी	9065520329
	मीलनबाती पान	9065520289
	शकुनतला मुंडा	9065520327
	गंगा सोरेन	9065520288
	बेला लुगुन	9065520312
	नेहा गुप्ता	9065520309
	विकास कुमार झा	9065520328
	राजू खानदियत	9065520314
	रोबिन मुंडा	9065520316
	अलेक कुमार शाह	9065520310
	सीदुउ बारी	9065520290

पीएमएफएमई की पेशकश

घटक	सहायता / सब्सिडी	पात्रता	स्वयं का योगदान
उद्यमों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी	10 लाख तक के पूंजीगत व्यय पर 35% सब्सिडी (जबकी अधिकतम 30% सिविल कार्य और मशीनरी के लिए दी जा सकती है)	**सार्वभौमिक** हालाँकि बेरोजगार युवाओं और महिला उद्यमियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें	10%
सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी	3 करोड़ तक के पूंजीगत व्यय पर 35% सब्सिडी (वहीं इसमें अधिकतम 30% सिविल कार्य और मशीनरी के लिए दी जा सकती है)	एसएचजी और एफपीओ	10%

पीएम विश्वकर्मा

उद्देश्य:

पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य यह है कि कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल वृद्धि, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने, किफायती ऋण और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर उनकी गुणवत्ता, उत्पादकता और बाजार के अवसरों को बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य के साथ सशक्त बनाना है जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो।

इसके फायदे:

मान्यता प्राप्त पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड

टूलकिट प्रोत्साहन:

- बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत में कौशल मूल्यांकन के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।
- डिजिटल गाइड और वीडियो ट्यूटोरियल विश्वकर्माओं को आधुनिक उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने, उसके उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करते हैं।

ऋण सहायता:

किश्त	ऋण राशि	ब्याज दर	ब्याज दर
पहला – बुनियादी प्रशिक्षण	1 लाख	5%	18 माह
द्वितीय उन्नत प्रशिक्षण	2 लाख	5%	30 माह

ऋण सहायता की कुल राशि रु. 3,00,000/– है । जिसमें, लाभार्थी 1,00,000/– रुपये तक की पहली ऋण किश्त का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी ऋण किश्त 2,00,000/– रुपये तक।

पात्रता:

- हाथों और औजारों से काम करने वाले और स्व–रोजगार के आधार पर असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में परिवार–आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में संलग्न एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
- पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यवसायों में संलग्न होना चाहिए और स्व–रोजगार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट–

आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। जैसे – पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा इत्यादि से ऋण नहीं लिया होना चाहिए। हालाँकि, मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण पूरी तरह से चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र होंगे। 5 वर्ष की इस अवधि की गणना ऋण स्वीकृत होने की तिथि से की जाएगी।

- योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के किसी एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक 'परिवार' को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य पात्र नहीं होंगे।

आवेदन प्रक्रिया:

i. नामांकन प्रक्रिया: मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड एवं CSCs (कॉमन सर्विस सेंटर) के सहयोग से, लाभार्थी परिवारों का नामांकन करेगा। एक केंद्रीकृत आधार–प्रमाणित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल और मोबाइल ऐप इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा।

ii. ऑनलाइन आवेदन: योग्य व्यक्ति जो ई–श्रम डेटाबेस में नहीं हैं, वे सीएससी या पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज/जानकारी: लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए अपना आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और राशन कार्ड देना होगा। अगर किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने होंगे। जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन्हें सीएससी के माध्यम से खाता खोलने में सहायता की जाएगी।

कोई नामांकन शुल्क नहीं: पीएम विश्वकर्मा नामांकन निःशुल्क होगा। सरकार सीएससी पंजीकरण और प्रमाणपत्र/आईडी कार्ड जारी करने सहित सभी संबंधित जरूरतों का वहन करेगी।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसायटी

मुख्यमंत्री सारथी योजना (एमएमएसवाई)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का पहल किया है। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य हर किसी को आत्मनिर्भर और कुशल बनाना है, ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। चाहे वो शिक्षित हो या फिर अशिक्षित। इस योजना के तहत युवाओं के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें और अपने भविष्य को सवार सकें।

झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना के मुख्य लाभ तथा विशेषताएं

इस योजना के प्रमुख लाभ एवं विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं।

- इसका लक्ष्य 18–35 वर्ष की आयु के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है, हालांकि BIRSA योजना के लिए आरक्षित श्रेणियों (SC/ ST/OBC) के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है।
- यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निशुल्क दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के बाद युवक–युवतियों को 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सारथी योजना हेतु योग्यताएं

- झारखंड राज्य के इच्छुक नागरिक जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
- इच्छुक नागरिक को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- ऐसे युवक, युवतियां जो डिग्री प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर

कहां करें आवेदन

हुनर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनं करें sdm.झारखंड.gov.in/jsdm/web/index.php/candidate_registration.

जिलों में ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्र – जिला श्रम कल्याण विभाग – जिला रोजगार विनिमय कार्यालय पर जाएँ।

मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत चार उपयोजनाएँ हैं

1 सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना (एसजेकेवीवाई)

क्या है इस योजना का उद्देश्य:

योजना का प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को काम के अवसर प्रदान करना और उन्हें स्वरोजगार की संभावनाओं के लिए तैयार करना है।

कौन होंगे इसके लक्षित समूह:

अनुसूचित जनजातिया, अनुसूचित जाति, महिला, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और ट्रांसजेंडर

शिक्षा: प्राथमिक मैट्रिकुलेशन अनिवार्य नहीं है।

मुख्य लाभ

विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निशुल्क दिया जाएगा। साथ ही

रोजगार प्रोत्साहन भत्ता: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अधिकतम एक वर्ष के लिए लड़कों को 1000/– रुपये प्रति माह और लड़कियों/ विकलांग/ट्रांसजेंडर को 1500/– रुपये प्रति माह

का भत्ता प्रदान किया जाएगा। यदि छात्रों को तीन महीने के भीतर रोजगार नहीं मिलता है।

रुपये की राशि गैरः आवासीय प्रशिक्षुओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्रों तक आने–जाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1000/– मासिक परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा।

2 दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (डीडीयू-केके) (मेगा स्किल सेंटर)

लंबी अवधि के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने के केंद्र बनाये गए है।

इसका मुख्य लाभः

विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षणः यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निशुल्क दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की अवधि लंबी होगी

रोजगार प्रोत्साहन भत्ताः प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अधिकतम एक वर्ष के लिए लड़कों को 1000/– रुपये प्रति माह और लड़कियों/विकलांग/ट्रांसजेंडर को 1500/– रुपये प्रति माह का भत्ता प्रदान किया जाएगा। यदि छात्रों को तीन महीने के अंदर रोजगार नहीं मिलता है।

रुपये की राशि गैरः आवासीय प्रशिक्षुओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्रों तक आने–जाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1000/– मासिक परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा।

3 कॉलेज शिक्षा और शिक्षण के साथ रोजगार योग्यता उत्कृष्टता (EXCEL)

क्या है इसका उद्देश्यः

कॉलेज परिसरों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना।

लक्षित समूह

इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023–2024 में 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करना है।

योजना का मुख्य लाभ

यह योजना उन उम्मीदवारों के लिए लागू की गई है, जो उच्च माध्यमिक पास कर चुके हैं, या राज्य भर में परीक्षा दे रहे हैं। उन युवाओं को कॉलेज परिसर में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कॉलेजों में चल रहे पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रमों के समानांतर कार्यक्रम चलेंगे।

राज्य भर में कॉलेज परिसरों में 12 प्रशिक्षण केंद्र होंगे।

4 ग्रामीण कौशल विकास के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थान (बिरसा)BIRSA

क्या है इसका उद्देश्यः

यह योजना ब्लॉक स्तर पर उम्मीदवार को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लक्षित समूह

इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023–2024 के लिए 40,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इस योजना के लिए आयु सीमा 18–35 वर्ष है और आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी) के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है।

इसके मुख्य लाभः–

- यह योजना उन उम्मीदवारों को संगठित करेगी जो विभिन्न कौशल कार्यक्रमों के तहत अपने स्थानीय क्षेत्रों में कुशल होना चाहते थे।
- योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्णतः गैर–आवासीय है।
- 30 जून 2023 से परिचालन
- पाठ्यक्रम अवधि इस योजना के तहत प्रशिक्षण न्यूनतम 300 घंटे का है, जिसमें 40 घंटे आईटी और सॉफ्ट स्किल के लिए हैं।
- राज्य में 80 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

इस कौशल योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका प्रदान करने में मदद करना है।

मुख्य लाभ

- सभी प्रमाणित उम्मीदवारों को एकमुश्त प्रोत्साहन
- बोर्डिंग और लॉजिंग लागत समर्थन
- परिवहन लागत
- पोस्ट प्लेसमेंट वजीफा/स्कॉलरशिप
- PwD उम्मीदवारों को अतिरिक्त सहायता
- दुर्घटना बीमा
- इंडक्शन किट और प्रतिभागी पुस्तिका
- प्रशिक्षण प्रदाता को वार्षिक प्रोत्साहन
- एकमुश्त प्लेसमेंट यात्रा लागत
- कैरियर की प्रगति में सहायता
- विदेशी प्लेसमेंट के लिए विशेष प्रोत्साहन
- पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भत्ता

इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे सहज नियम बनायें गए है, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने और आत्मनिर्भर बनने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यह प्रशिक्षु–केंद्रित योजना भी उन्ही में से एक है। इससे उम्मीदवारों को नौकरी की भूमिका और प्रशिक्षण केंद्र की पसंद पर एक पोर्टल/ऐप पर स्वयं–पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डीएससी/एसएसडीएम/टीपी उन्हें पंजीकरण के लिए सक्षम बनाएंगे

"18–45 वर्ष के बीच भारतीय नागरिक (Online registration on PMKVY Portal)

श्रम विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

1 आम आदमी बीमा योजना

उद्देश्यः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

योजना का प्रकारः केन्द्र प्रायोजित

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत प्रत्येक बीमित ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया अर्जनकर्ता के लिए 200/– रूपये का प्रीमियम का भुगतान एल0आई0सी0 को किया जाता है। जिसमें राज्यांश मद में प्रति व्यक्ति 100/– रूपये का भुगतान एल0आई0सी0 को किया जाता है।

मुख्य लाभ

बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने पर 75,000/– रूपये दोनों अंगों के खोने पर 75,000/– रूपये एवं एक अंग के खोने पर 37,500/– रूपये तथा सामान्य मृत्यु होने पर 30,000/– रूपये का भुगतान किया जाता है।

लक्षित समूह

- प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार जिनके पास 50 डिसमल से अधिक जमीन न हो
- ऐसे परिवार से एक व्यक्ति को बीमा का लाभ दिया जायेगा

आवेदन कहां करें

संबंधित जिलों में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग

विभाग- योजना-सह-वित्त

1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना का प्रकारः केन्द्रीय योजना

उद्देश्यः

वैसे व्यक्ति जो खुद के लिए रोजगार चाहते है, उन बेरोजगार व्यक्ति को बैंको के माध्यम से ऋण प्रदान करना।

लक्षित समूहः सभी बेरोजगार व्यक्ति

इस योजना के मुख्य लाभ तथा विशेषताएं

अधिकतम 10.00 लाख की ऋण सीमा

सभी सरकारी/प्राईवेट/ग्रामीण बैंक शामिल

मुद्रा ऋण योजना के तहत कोई न्यूनतम ऋण राशि नहीं है। पीएमएमवाई के तहत ली जा सकने वाली अधिकतम ऋण राशि रु 10 लाख है।

यदि उधारकर्ता मुद्रा ऋण लेते हैं, तो उन्हें प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करने या संपर्क शुलक देने की आवश्यकता नहीं होती है।

पीएमएमवाई योजना के अनुसार मुद्रा ऋण न केवल गैर कृषि क्षेत्र के उद्यमों को दिया जा सकता है। बल्कि इसमें बागवानी और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों में लगे लोग भी शामिल हो सकते हैं।

- अधिकतम ऋण 10 लाख रु
- ऋण चुकाने की अवधि 84 महीने हैं
- ब्याज दर बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार

लक्षित समूह

सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम खंड के अंतर्गत सभी गैर–कृषि उद्यम

मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए हैं उद्यम

जिनकी ऋण आवश्यकताएँ 10 लाख रुपये तक हैं।

पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत कृषि संबद्ध गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

जरूरी दस्तावेज

- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण दस्तावेज (संयुक्त ऋण के मामले में)।
- बिजनेस आईडी और एड्रेस प्रूफ दस्तावेज (लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/डीड कॉपी, आदि)।
- आवेदक/आवेदकों की नवीनतम तस्वीरें।
- ऋण आवश्यकता का प्रमाण, यानी, उपकरण कोटेशन, विक्रेता विवरण इत्यादि।

आवेदन कहां करें

online : https://udyanmitra-in

offline : Visit Bank PNB]SBI] Central Bank] Bank of Baroda

2 योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

योजना का प्रकारः केन्द्रीय योजना

उद्देश्यः

बीमा योजनाः सभी व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा लाभ

लक्षित समूह

सभी व्यक्ति जिसका खाता बैंक में हो

18 से 70 वर्ष के खाताधारियों के लिए वार्षिक प्रिमियम 20/रू0

देय लाभ

दूर्घटना बीमा, दुर्घटना होने पर 2.00 लाख का बीमा

योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है

कहां आवेदन करें

सभी जिला एवं प्रखण्ड में स्थित बैंक में।

योजना का नाम: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

योजना का प्रकारः केन्द्रीय योजना

उद्देश्य

बीमा योजना से मिले सभी व्यक्तियों को बीमा लाभ, 18 से 50 साल वार्षिक प्रिमियम 330 रु0 सभी खाताधारियों के लिए।

देय लाभ

मृत्यु होने पर 2.00 लाख का बीमा लाभ, सभी जिला एवं प्रखण्ड में स्थित बैंक।

कहां आवेदन करें

सभी जिला एवं प्रखण्ड में स्थित बैंक में।

अटल पेंशन योजना

योजना का प्रकारः केन्द्रीय योजना

उद्देश्य

पेंशन योजना एंव पेंशन लाभ

लक्षित समूह

18 से 40 वर्ष के नागरिक

60 वर्ष आयु तक 1000/– से 5000/– तक राशि जमा करना है, पेंशन सभी जिला एवं प्रखण्ड में स्थित बैंक में।

कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP)

किसी भी देश की आर्थिक स्थिती में मजबूती, उस देश के राज्यों की उन्नति और उनके योगदान से ही आता है । बदलते वक्त के साथ साथ अब देश के राज्यों का स्वरूप भी बदल रहा है, और यहां के लोग भी । जिसे देखते हुए झारखंड राज्य के राजवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई तरह के जनोपयोगी कार्यक्रमों और योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है । उन्ही में से एक है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, और दिव्यांग युवाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक–वित्त और विकास निगम युवाओं को आय सृजन योजनाओं के लिए सावधि ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं, और यह योजना ना सिर्फ उनके स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है ।

पात्रता: 18 से 50 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5.00 लाख रुपये से अधिक न हो।

ऋण सहायता: 50,000/– से 25,00,000 तक

वित्तीय सहायता पैटर्न

ऋण राशि	सब्सिडी	सब्सिडी की राशि (रुपये में)
50,000 रुपये तक	40%	Rs. 20,000/-
50,001/- to Rs. 2,50,000/-	40%	Rs. 20,000/- to Rs. 1,00,000/-
Rs. 2,50,001/- to Rs. 5,00,000/-	40%	Rs. 1,00,000/- to Rs. 2,00,000/-
Rs. 5,00,001/- to Rs. 10,00,000/-	40%	Rs. 2,00,000/- to Rs. 4,00,000/-
Rs. 10,00,001/- to Rs. 25,00,000/-	40%	Rs. 4,00,000/- to अधिकतम Rs. 5,00,000/-

ऋण के लिए ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। ब्याज की गणना सब्सिडी राशि घटाने के बाद प्राप्त ऋण की राशि पर की जाएगी।

गारंटर

- 50,000 रुपये तक की योजनाओं के लिए गारंटर की आवश्यक नहीं ।
- 50,000 रुपये से अधिक की योजनाओं के लिए एक गारंटर की आवश्यकता है ।

गारंटर की पात्रता

गारंटर किसी सरकारी/अर्ध–सरकारी/निजी संगठन में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारी या निर्वाचित/पूर्व–निर्वाचित जन प्रतिनिधि/आयकर दाता हो सकता है ।

या फिर

प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण के मामले में ऋण की गारंटी के रूप में केवल दृष्टिबंधन ही मान्य होगा।

या

चल/अचल संपत्ति की गारंटी के रूप में प्रावधान:

विभाग के अधीन संचालित निगमों द्वारा गारंटी के रूप में लाभार्थियों से ऋण राशि के बराबर चल/अचल संपत्ति भी प्राप्त की जा सकती है।

पात्रता मानदंड आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक की आयु 18 – 50 वर्ष
- आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। तथा इससे संबंधित ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

- झारखंड राज्य से जारी आय प्रमाण पत्र
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। इस संबंध में स्व–घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
- आवेदक ने पूर्व में किसी सरकारी अर्धसरकारी संस्थान से ऋण सब्सिडी का लाभ न लिया हो, तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर न हो। इस संबंध में स्व–घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को आधार कार्ड की फोटोकॉपी / आयु प्रमाण पत्र / बैंक खाता विवरण (बैंक खाता पासबुक का पहला पृष्ठ) प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 50,001/– रुपये से अधिक के ऋण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव में आवेदक को यह जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि 1.50 लाख रुपये के निवेश पर उसके व्यवसाय में (वाहन ऋण को छोड़कर कितना रोजगार उत्पन्न हो सकता है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे शराब हरिया तारी आदि से संबंधित व्यवसायिक प्रस्ताव, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पॉलिथीन बैग/कैरी बैग/20 माइक्रोन से कम की पैकेजिंग सामग्री आदि, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
- मार्जिन मनीः 50,000/– रुपये से अधिक की परियोजना इकाई की कुल लागत का 10% आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा।
- यदि प्रस्तावित प्रोजेक्ट से संबंधित कोई प्रशिक्षण लिया गया हो, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- वाहन ऋण के संबंध में आवेदक को ऋण पर लिये गये वाहन का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के मामले में परिवहन विभाग के नियमों/विनियमों का पालन किया जाएगा।
- प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण के लिए आवेदक द्वारा लिए गए प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निगम के नाम पर गिरवी रखना अनिवार्य होगा।
- लोन राशि के अनुसार आवेदक को लोन के एवज में गारंटी देनी होगी।
- स्वयं सहायता समूहों को आय सृजन के उद्देश्य से केवल ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यात्मक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशानिर्देशों और आय सृजन गतिविधियों के लिए एसएचजी को वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए आरबीआई के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
- दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र (न्यूनतम 40%) अनिवार्य है। यदि आवेदक विकलांग है तो उस स्थिति में आवेदक के पास विकलांगता (कम से कम 40%) से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस संबंध में प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदक को योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक हैए जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों को भी अपलोड करने होंगे

- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करें

ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

- आवेदक का फोटो
- आवासीय प्रमाण पत्र – ऑनलाइन निर्गत
- जाति प्रमाण पत्र – ऑनलाइन निर्गत
- आय प्रमाण पत्र – ऑनलाइन निर्गत
- आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति

- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
- योजना प्रस्ताव की प्रति– वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- रु 10 लाख और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए आकलन की रिपोर्ट (Due Deligence Report)
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अगर आपके पास है तो
- स्व.घोषणा पत्र –दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर
- गारंटर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति – वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति

झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड

1 आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

आदिवासी महिलाओं के लिए आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना की शुरूआत की गई है। ताकी आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाया जा सके। इसे सरकार की एक बेहतर पहल या कदम कह सकते है। यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष रियायती योजना है।

राज्य चौनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से इकाई की आवश्यकता के आधार पर ऋण दिया जाता है। इसके लिए लाभार्थियों को एनएसटीएफडीसी के पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और एससीए द्वारा ऋण देने के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

प्रति यूनिट Rs. 2.00 लाख तक ऋण दिया जाएगा । जिसकी ब्याज दर 4% होगी

ऋण को स्थगन अवधि सहित अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के भीतर तिमाही किस्तों में चुकाना होगा। पुनर्वित्त के मामले में इसे बैंकों द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि से जोड़ा जाएगा।

आवेदन कैसे करें:

- विभाग का नामः– समेकित जनजाति विकास अभिकरण (कल्याण विभाग)
- परियोजना निदेशक, आई. टी. डी. ए. से संपर्क करें

2 आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को निवास औरध्या स्वयं–खेती के लिए या आजीविका उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य पारंपरिक गतिविधि के लिए वन भूमि रखने का अधिकार दिया गया है। जनजातीय वनवासी सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, भूमि के उत्पादक उपयोग की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति वनवासियों को एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार लिंकेज में सहायता करना आदि है। एक अनुसूचित जनजाति, जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि का अधिकार प्राप्त है, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

आवेदन कैसे करें:

- विभाग का नामः– समेकित जनजाति विकास अभिकरण (कल्याण विभाग)
- परियोजना निदेशक, आई. टी. डी. ए. से संपर्क करें

3 सूक्ष्म-ऋण योजनाएं - आवेदन कैसे करें:

यह योजना एसएचजी के पात्र अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आय सृजन गतिविधियां शुरू करने के लिए छोटे ऋण प्रदान करने के लिए है।

राज्य चौनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एसएचजी की आवश्यकता के आधार पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए लाभार्थियों/एसएचजी को एससीए के पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और एससीए

द्वारा ऋण देने के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

एनएसटीएफडीसी प्रति सदस्य Rs. 50,000/– और प्रति एसएचजी अधिकतम Rs. 5.00 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।यदि एससीए मार्जिन/धन/सब्सिडी प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, तो एनएसटीएफडीसी आवश्यक धनराशि का 100% तक ऋण के रूप में प्रदान कर सकता है।

4 ट्राइफेड के पैनल में शामिल कारीगरों को सहायता

देश भर के कारीगरों को सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसटीएफडीसी ट्राइफेड के पैनल में शामिल आदिवासी कारीगरों को परियोजना से संबंधित संपत्तियों और कार्यशील पूंजी की खरीद के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। जिससे आदिवासी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और इस प्रकार अपने उत्पादों की वैश्विक उपस्थिति बना सकते हैं।

आवेदन कैसे करें: ट्राइफेड के पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया

ट्राइफेड के साथ कारीगरों का पैनल बनाना

कारीगरों और प्रसंस्कृत लघु वन उत्पादकों को ट्राइफेड के साथ सूचीबद्ध होना होगा –

एम्पैनलमेंट और एम्पैनेलमनेट प्रक्रिया की जानकारी के लिए संपर्क करें:

रांची के ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय में

कार्यालय का पता:

454–ए, रोड नंबर–5, अशोक नगर, रांची–834002

श्री शैलेन्द्र कुमार राजू

क्षेत्रीय प्रबंधकर्ता

मोबाइल: 9431357391

पात्रता मानदंड

व्यक्तिगत आदिवासी कारीगर, आदिवासी एसएचजी/एफपीओ, आदिवासियों के लिए काम करने वाले सरकारी संगठन/एजेंसियां, आदिवासियों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन शामिल हैं और जहां समूहध्संगठन में शामिल व्यक्तियों में से कम से कम सत्तर प्रतिशत (70%) आदिवासी हैं।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

योजना का नाम इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना का प्रकार केन्द्र योजना

इसमें पात्रता के मुख्य बिन्दु

60 वर्ष से उपर के वैसे सभी लाभूकों जो **वृद्ध** के श्रेणी में आते है.. उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है।

लक्षित समूह: वृद्ध व्यक्ति

देय लाभ

- 600/– माह प्रतिमाह
- अंचल कार्यालय/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा

योजना का नाम आदिम जनजाति पेशन योजना

योजना का प्रकार: राज्य योजना

इसमें पात्रता के मुख्य बिन्दु

राज्य के 9 जनजाति समूहों– असूर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया एवं सबर को आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। इन्ही को ध्यान में रखते हुए कल्याणा विभाग द्वारा आदिम जनजाति पेंशन योजना चलाई जाती है।

लक्षित समूह: आदिम जनजाति

देय लाभ

- 600/– माह प्रतिमाह
- कहां आवेदन करें: अंचल कार्यालय/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा में आवेदन कर सकते है।

योजना का नाम इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना का प्रकारः केन्द्र प्रायोजित योजना

पात्रता के मुख्य बिन्दु

इस योजना में 40–79 वर्ष की विधवा महिलाएँ जो BPL के श्रेणी में आते है। उन्हें इस पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

लक्षित समूहः विधवा महिला

देय लाभः 600/– प्रतिमाह

कहां आवेदन करें: अंचल कार्यालय/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा में आवेदन कर सकते है।

योजना का नाम इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

योजना का प्रकारः केन्द्र प्रायोजित योजना

इस योजना के अन्तर्गत 80% से अधिक की विकलांगता से ग्रसित वैसे व्यक्ति जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों जो BPL के श्रेणी में आते है, उन्हे पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

देय लाभः 600/– प्रतिमाह

राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना

केन्द्र प्रायोजित योजना

ये योजना राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजनान्तगर्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता पुरुष/महिला, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को एक मुश्त में 20000/– बीस हजार रु का सहायता अनदुान भुगतान किया जाता है

गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने करने वाले BPL व्यक्ति

20000/– एक मुश्त

अंचल कार्यालय/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा

मातृत्व लाभ कार्यक्रम योजना / प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

योजना का प्रकारः केन्द्र प्रायोजित योजना

- यह योजना राज्य के सभी जिले में संचालित है।
- इस योजना का उदेश्य है कि गर्भवती एवं धात्री महिलों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करके अनुकुल वातावरण के निर्माण में योगदान करना है।
- 19 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रथम दो बच्चों के लिए इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार हेतु मातृत्व लाभ के रुप में प्रति लाभूकों को 6000/– रुपये दो किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है।
- आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सहयोग प्रदान करने के लिए क्रमशः 200/– एवं 100/– रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

लक्षित समूह

- गर्भवती एवं धात्री महिला
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दो किस्तो में 6000/– रु मिलेंगे

कहां आवेदन करें:

आंगनबाड़ी सेविका

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय/बाल विकास परियोजना कार्यालय

Contributors

Vision

- **Shri Chandra Shekhar, IAS, Secretary, Rural development Department, Govt. of Jharkhand**

Guidance

- **Shri Sandeep Singh, IAS, CEO, JSLPS, Rural development Department, Govt. of Jharkhand**

Technical Inputs

- **Praveen Singh, State Program Manager, Farm Livelihood, JSLPS, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand**
- **Sanjay Bhagat, Program Manager, Farm Livelihood, JSLPS, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand**
- **Ashok Kumar, Director, Transform Rural India (TRI)**
- **Md. Karimuddin Malik, Assosiate Director, Transform Rural India (TRI)**
- **Shila Matang, Transform Rural India (TRI)**
- **Deep Shikha, Transform Rural India (TRI)**

Published:2024

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार

Conceptualized and Published by : Transform Rural India (TRI)
Address: 24, Ground floor, Community Shopping Centre
Neeti Bagh, New Delhi,110049